>

Title: Need to withdraw the Professional Tax levied on "Rojgar Hami" scheme which has now been replaced by MGNREGA in Maharashtra.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जीरो ऑवर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने का मौका दिया। केन्द्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। यह योजना रोजगार हमी योजना के नाम से महाराष्ट्र से शुरू हुई थी और अब केन्द्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसके माध्यम से केन्द्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पैसा जाता है। पिछले दो सालों से यह योजना चल रही है, फिर भी महाराष्ट्र में इस पर प्रोफेशनल टैक्स लिया जा रहा है। हमारा यह कहना है कि जब यह केन्द्र सरकार की योजना है और पूरा पैसा केन्द्र सरकार दे रही है तो फिर इस पर प्रोफेशनल टैक्स न लगाया जाए। इसका कारण यह है कि आज प्रोफेशनल टैक्स से कोई अछूता नहीं रहा है। दस हजार से अधिक जिसकी इंकम है या तनख्वाह है, उसके साल में ढाई हजार रुपये कटते हैं। इसी प्रकार से चाहे नगरपालिका के कर्मचारी हों या अन्य सभी वर्गों के कर्मचारी हों, इन सबका टैक्स कटता है।

दूसरी बात की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को नगरपालिका के 'क' वर्ग पर लागू करने की आवश्यकता है। मैं दोनों बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नगरपालिका के 'क' वर्ग में भी यह योजना लागू हो और महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया जाए कि जब केन्द्र सरकार पूरा पैसा दे रही है तो किसी भी हालत में वह प्रोफेशनल टैक्स से लोगों को राहत प्रदान करे। ताकि महंगाई के इस समय में लोगों को कुछ दिलासा मिल सके। यदि प्रोफेशनल टैक्स खत्म हो जाए तो उससे उसके घर की गैस का चूल्हा आराम से चल सकता है। इस दृष्टिकोण से इस योजना को देखने की आवश्यकता है।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह इस टैक्स को हटाने के बारे में महाराष्ट्र सरकार को तुंत निर्देश दे।